नजरबन्द व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता

***33. श्री लक्ष्मी नारायण नायक :**

श्री राघव जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोगों के उन परिवारों को, जिनके पास जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं था, सरकार द्वारा कोई निर्वाह भत्ता दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों में किसी व्यक्ति के निवारक निरोध की व्यवस्था नहीं है । इन नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है । आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के बारे में अधिकांश राज्य सरकारों ने नजरबन्द व्यक्तियों के परिवारों का भत्ता स्वीकृत करने के लिए नियम बनाये हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारों और चण्डीगढ़ प्रशासन ने अतीत में नजरबन्द व्यक्तियों के परिवारों को भत्ता स्वीकृत किया है ।

(ख) नजरबन्द व्यक्तियों के परिवारों को भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई व्यवस्था के संक्षिप्त ब्यौरे का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये संख्या एल० टी० –101/77]**

Setting up of a Commission to inquire into excesses during Emergency

***34. SHRI SAMAR GUHA:**

SHRI KANWAR LAL GUPTA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to set up a high-power National Commission to hold public enquiry into the cases of firing, lathi charge and other repressive measures adopted by Government inside and outside prison during Emergency?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURY CHARAN SINGH): The Government are aware of the need to inquire into complaints of various misdeeds, malpractices, repressive measures, etc., during the period of the Emergency. The whole matter is under close examination and the Government will make a statement on the floor of the House during the current Session.

Censorship on Publication of Proceedings of both Houses of Parliament

*35. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether certain orders were issued by Union Government censoring publication in newspapers of proceedings of both Houses of Parliament and particularly the speeches of the then Opposition members; and

(b) if so, the facts thereof and the authority under which those orders were issued?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) During the short session of Parliament held in July-August, 1975 precensorship was imposed on all proceedings under the orders of then Minister of Information and Broadcasting. Barring statements of Ministers which did not infringe censorship,